

कार्य का नाम:-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में थलीसैण ब्लॉक के अन्तर्गत गढ़सारी-कुल्याणी-धाधणखेत मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

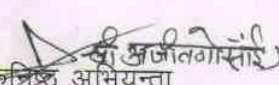
उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 5161/111(2)/10-35 (एम०एल०एस०) 2010 टी०सी०आई० दिनांक 24.09.2010 द्वारा 3 कि०मी० में प्राप्त हुई हैं। यह मार्ग पूर्व में स्वीकृत गढ़सारी-कुल्याणी-धाधणखेत मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 से प्रारम्भ होगा एवं 3.000 कि०मी० लम्बाई में कि०मी० 8.000 तक धाधणखेत में जुड़ जायेगा। इस मोटर मार्ग हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण संख्या एक में नाप भूमि 1.800 कि०मी० एवं आरक्षित वनभूमि 1.200 कि०मी० है। वैकल्पिक निरस्त समरेखण संख्या दो में निजी नाप भूमि 1.400 कि०मी० एवं आरक्षित वनभूमि 1.600 कि०मी० है। यह समरेखण आरक्षित वनभूमि में अधिक होने के कारण पातन किये जाने वाले पेड़ों की संख्या समरेखण संख्या एक की अपेक्षा अधिक है। प्रस्तावित समरेखण संख्या एक में पातन किये जाने वाले पेड़ों की संख्या न्यूनतम 84 है। समरेखण संख्या एक में स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से यातायात विहीन क्षेत्र में यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी एवं स्थानीय कामगारों को मोटर मार्ग निर्माण कार्य में रोजगार भी उपलब्ध होगा। मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र का बहुमुखी विकास सम्भव हो पायेगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से चार गाँव लाभान्वित होंगे।

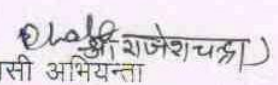
- | | | | |
|-------------|------------|----------|----------|
| 1. कुल्याणी | 2. धाधणखेत | 3. कुण्ज | 4. बटूला |
|-------------|------------|----------|----------|

उक्त मोटर मार्ग यातायात के साधन विहीन क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव सादर प्रेषित है।


अभिियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)